

तारीख हुकम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय
कमलारानी बनाम हरीश कुमार वगै०
किरम मुकदमा: प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 आर०टी०एक्ट
मिसल नंबर:- 808/22

नंबर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तारीख में जारी
हुये।

29.07.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अपने मूल-वाद के साथ प्रस्तुत की।
वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस वाबत जारी करने अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा सुनी गई। वाद बहस प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं
अपूर्णिय क्षति का होना वकील प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने में
असफल रहा। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।
अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक
08.08.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०

08/08/22

वकील प्रार्थीया ने वकील प्रार्थीया ने
किया कि लुट्टा की नोटिस दिया
जावे।

note press

13/08/22

पगावली भाष्य राष्ट्रीय लोड झडाल में
फिर डी, वकील प्रार्थीया ने जस्ट. डा. रंजीत
को लुट्टा की नोटिस किये ही महमसि
नी जा चुकी है मतः वकील प्रार्थीया
ही महमसि के माध्यम से डा. रंजीत
शर रज. नथ इती रिज पर नोट-
उस से खरिज किया जावे है. पगावली
के लुट्टा के लुट्टा डा. रंजीत उधर है।

8/8/22

न्यायालय
नोक ब्रह्मान्त तालुका विधिक
सेवा समिति नगर (भरतपुर)

नोक ब्रह्मान्त तालुका विधिक
सेवा समिति नगर (भरतपुर)